

कार्यालय अंचल अधिकारी, कोडरमा
विविध वाद सं० ०४ / 2018-19

श्री संतोष कुमार केसरी
पिता- लखन साव
साकिन- अड्डा बंगला, फुलिया
जिला- कोडरमा


24.06.2018

श्री संतोष कुमार केसरी, पिता- लखन साव, साकिन- अड्डा बंगला, पौ०- डुमरी तिलैया, थाना- तिलैया, जिला- कोडरमा के द्वारा आवेदन दिया गया है कि उनकी भूमि, मौजा- तिलैया, थाना नं०- 244, खाता सं०- 1104, प्लॉट नं०- 7071, रकबा- 05 डी० जो पंजी II के पृष्ठ सं०- 119 कॉल्यूम IX पर उनकी माता- दुर्गा देवी के नाम से जमाबंदी से चल रही थी। उक्त पंजी II का पृष्ठ सं०- 119 कॉल्यूम IX क्षतिग्रस्त होने के कारण अब मालगुजारी रसीद निर्गत नहीं हो रहा है।

आवेदक, संतोष कुमार केसरी के द्वारा केवाला सं०- 1339 दिनांक 18.01.1972 तथा मालगुजारी रसीद सं०- 4604018 वर्ष 2008-09 की छायाप्रति अपने आवेदन के साथ संलग्न करते हुए अपनी भूमि की ऑनलाइन जमाबंदी कायम कर मालगुजारी रसीद निर्गत करने का अनुरोध किया गया है।

उक्त आवेदन के आलोक में राजस्व कर्मचारी/अंचल अमीन/अंचल नाजीर/अंचल निरीक्षक से जांच कर विहित प्रपत्र में प्रतिवेदन की मांग करें।

अभिलेख दिनांक 03 / 05 / 2018 को उपस्थापित करें।


24/04/2018
अंचल अधिकारी,
कोडरमा

03.05.2018

अभिलेख उपस्थापित।

राजस्व कर्मचारी/अंचल अमीन/अंचल नाजीर/अंचल निरीक्षक से विहित प्रपत्र में जांच प्रतिवेदन प्राप्त है, जो अभिलेख में संलग्न है। जांचोपरांत राजस्व कर्मचारी के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है, "मौजा- तिलैया, थाना नं०- 244 के चालू पंजी II के पृष्ठ सं० 119/IX पर खाता सं०- 1104, रकबा- 0.05 ए० भूमि, श्रीमती दुर्गा देवी, पति- लखन साव के नाम से जमाबंदी दर्ज था। उक्त पंजी में पृष्ठ सं० 119/IX क्षतिग्रस्त हो गया है। इसलिए जमाबंदी स्पष्ट नहीं होता है। उक्त भूमि रैयती खाते की है। अमीन द्वारा मापी के उपरांत जमाबंदी कायम करने की कार्रवाई की जा सकती है।"


मापी के उपरांत अंचल अमीन के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है, "मौजा- तिलैया, थाना नं०- 244 अंतर्गत खाता सं०- 1104, प्लॉट नं०- 7071, रकबा- 05 डी० जमीन का नक्शा से मिलान किया। जांच के दौरान पाया कि उक्त एराजी पर आवेदक का पक्का मकान बना हुआ पाया तथा दखल-कब्जा भी है। इसका चौहद्दी, उत्तर तारकेश्वर ठाकुर, दक्षिण- जोहार जयसवाल, पुरव- शंकर ठाकुर एवं पश्चिम- रास्ता है।"

अंचल नाजीर के द्वारा आवेदक के आवेदन में संलग्न सरकारी लगान रसीद का नज्जारत में उपलब्ध रसीद भंडार पंजी से मिलान कर प्रतिवेदित किया गया है, "लगान रसीद सं०- 4604018 लगान भंडार पंजी में दर्ज पाया।"

अधल निरीक्षक के द्वारा राजस्व कर्मचारी/अधल अमीन से दिहित प्रपत्र के प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर कार्यवाई हेतु आदेशित किया गया है।

आवेदक को नोटिस निर्गत कर प्रस्तुत भूमि से संबंधित मूल राजस्व कागजातों की मांग करे। साथ ही अन्य-हस्ताक्षर निर्गत कर दण्ड/आपत्ति की मांग करे।

अभिलेख दिनांक 17/05/2018 को उपस्थापित करें।


03/05/2018
अधल अधिकारी,
कोडरमा

17/05/2018

अभिलेख उपस्थापित।


अन्य हस्ताक्षर का तामिल्या प्रतिवेदन प्रतिवेदन प्राप्त है जो अभिलेख में संलग्न है। किसी व्यक्ति के द्वारा कोई दण्ड/आपत्ति दर्ज नहीं की गई।


आवेदक: सतीश कुमार कुमारी, पित्त- लखन साय शय्य व्यवस्थित हैं। उनके द्वारा अपने दावे के सम्बंध में केसाला सं०- 1339 दिनांक 08.01.1972 एवं निर्गत सरकारी लगान रसीद सं०- 095659 वर्ष 1984-85 लगान रसीद सं०- 4604918 वर्ष 2008-09 प्रस्तुत किया गया। दावेदक के द्वारा कार्यपालक सहायिका कोडरमा का प्रपत्र सं०- 1537 दिनांक 11.04.2018 दाखिल किया गया है।

राजस्व कर्मचारी/अधल अमीन/अधल नाजीर/अधल निरीक्षक के द्वारा जांच के उपरांत दिहित प्रपत्र में समर्पित जांच-प्रतिवेदन तथा आवेदक द्वारा प्रस्तुत राजस्व कागजातों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि उक्त भूमि, मौजा- तिलैया, थाना न०- 244 अन्तर्गत खाता सं०- 1104, प्लॉट न०- 7071, रकबा- 05 डी० रैयती खाते की भूमि है, जिसकी जमाबंदी पंजी II के पृष्ठ सं०- 119/1 पर श्रीमती दुर्गा देवी, पति- लखन साय के नाम से चल रही थी। उक्त जमाबंदी पंजी II के पृष्ठ सं०- 119/1 अतिप्रस्त हो चुका है।

अतः आवेदक द्वारा प्रस्तुत राजस्व कागजातों एवं राजस्व कर्मचारी/अधल अमीन/अधल निरीक्षक/अधल नाजीर के जांच प्रतिवेदन के आधार पर ऑनलाइन पंजी II में मौजा- मौजा- तिलैया, थाना न०- 244 अन्तर्गत खाता सं०- 1104, प्लॉट न०- 7071, रकबा- 05 डी० भूमि माल- 0.15 रु० की जमाबंदी श्रीमती दुर्गा देवी, पति- लखन साय, साकिन- अड्डी बंगला, थाना- तिलैया, पोस्ट- कुमारी तिलैया, जिला-कोडरमा के नाम से करने का आदेश निर्गत किया जाता है।

अभिलेख में कार्यवाई करें की जाती है।


17/05/2018
लेखापित एवं संशोधित


17/05/2018
अधल अधिकारी,
कोडरमा